राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20875/2024

जोरावर सिंह राव पुत्र श्री माकन सिंह राव, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम इदाना, आमेट, जिला राजसमंद (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मार्फत सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान (राजस्थान)।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद (राजस्थान)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद (राजस्थान)।

----उत्तरदातागण

संलग्न

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्याएँ 4023/2024, 20740/2024, 20792/2024, 20819/2024, 20823/2024, 20828/2024, 20992/2024, 20995/2024, 20996/2024, 21004/2024, 21006/2024, 21083/2024, 21097/2024, 21112/2024, 21177/2024, 21181/2024, 21183/2024, 21193/2024, 21219/2024, 21329/2024, 21336/2024, 21367/2024, 21471/2024, 21539/2024, 21555/2024, 21573/2024, 21641/2024, 21706/2024, 21710/2024, 21751/2024, 21773/2024, 56/2025, 66/2025, 69/2025, 73/2025, 120/2025, 219/2025, 222/2025, 223/2025, 382/2025, 431/2025, 459/2025, 466/2025, 486/2025, 504/2025, 761/2025, 800/2025, 828/2025, 882/2025, 991/2025, 999/2025, 1116/2025, 1517/2025, 1621/2025, 2058/2025, 3542/2025 और 4727/2025।

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : श्री एम.एस. गोदारा, श्री आर.एस. चौधरी, श्री के.आर. सहारण, श्री कैलाश जांगिड़, श्री हनुमान सिंह, श्री श्रवण चौधरी, श्री प्रमेंद्र बोहरा,

		श्री हापू राम, श्री विकास बिजारनिया, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री तंवर सिंह, श्री सुदेश, सुश्री वर्षा बिस्सा, श्री आवर दान उज्जवल, श्री डी.एस. सोढा, श्री सुरेंद्र बागमलानी, श्री बी.आर. चाहर, श्री गोपाल संधु, श्री कुणाल बिश्नोई, श्री सुमेर सिंह राठौड़, श्री खेत सिंह राजपुरोहित, सुश्री अदिति मोड, श्री कैलाश चौधरी, सुश्री डॉली जायसवाल, श्री ए.आर. गोदारा, श्री आईदान चौधरी, श्री सुशील सोलंकी, सुश्री आयुषी सोलंकी
उत्तरदाताओं की ओर से	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता, श्री अनिरुद्ध सिंह शेखावत द्वारा सहयोगित । श्री आई.आर. चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री पवन भारती। श्री एन.के. मेहता, उप-सरकारी वकील के साथ श्री वैभव बंग। श्री बी.एल. भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री संदीप सोनी। डॉ. प्रवीण खंडेलवाल अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ सुश्री यशवी खंडेलवाल।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>25/02/2025</u>

1. इस साझा आदेश के माध्यम से, उपरोक्त समूह का एक साथ निपटान किया जा रहा है क्योंकि न केवल शामिल तथ्य समान हैं, बल्कि उनमें निहित मुद्दा भी समान है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा इसमें चुनौती, उनके संबंधित आदेशों को है, जिसके तहत उन्हें शिक्षक के रूप में अधिशेष घोषित किया गया था और उसके बाद, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। दोनों आदेशों को, अर्थात अधिशेष घोषित करने के साथ-साथ स्थानांतरण को उन सभी द्वारा चुनौती दी गई है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत तथ्य बहुत महत्व के नहीं हैं और उन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

3. दिनांक 29.01.2025 के आदेश के माध्यम से, माननीय महाधिवक्ता ने न्यायालय की बेहतर सहायता के लिए एक व्यापक शपथ पत्र दायर करने हेतु समय मांगा था। उक्त आदेश उचित है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

> "माननीय महाधिवक्ता का कथन है कि याचिकाओं के व्यक्तिगत जवाब दाखिल करने के बजाय, चूंकि उपरोक्त समूह में शामिल मुद्दा समान है, न्यायालय की बेहतर सहायता के लिए एक व्यापक शपथ पत्र दायर करने का प्रस्ताव है और थोड़ा समय मांगा गया है।
>
> *12.02.2025* को सूचीबद्ध करें।
>
> इस बीच आवश्यक कार्रवाई की जाए।
>
> विभिन्न याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने अभी तक अपनी याचिकाओं की प्रतियां विद्वान सहायक अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध सिंह शेखावत को तामील नहीं की हैं, को अंतिम अवसर दिया जाता है, जिन्होंने सुनवाई के दौरान बताया है कि उपरोक्त समूह में से, केवल *29* याचिकाओं को तामील किया गया है।
>
> आज से एक सप्ताह के भीतर यदि तामील नहीं की जाती है, तो वे सभी मामले अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिए जाएंगे।
>
> अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा।"

4. तदनुसार, आज सुनवाई फिर से शुरू होने पर, प्रस्तावित अतिरिक्त शपथ पत्र की एक प्रति सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है। उसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:–

> *"11.* कि भले ही प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों का उन्नयन किया गया था, लेकिन नियम *6(3)* के तहत उचित आदेश अभी तक पारित नहीं किए गए थे, जो अलग से किए जाएंगे, हालांकि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, उन उन्नत माध्यमिक विद्यालयों में अधिशेष पाए गए लोगों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी *(*मुख्यालय*)* प्राथमिक शिक्षा के अधीन रखने के लिए भेजा गया था और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी *(*मुख्यालय*)*

प्राथमिक शिक्षा ने दिनांक *14.11.2024* के परिपत्र के आलोक में विभिन्न विद्यालयों में उनके पदस्थापन का आदेश पारित किया, दिनांक *14.11.2024* के परिपत्र की एक प्रति संलग्न है और अनुलग्नक आर/*7* के रूप में चिह्नित है। कि दिनांक *14.11.2024* का परिपत्र बहुत विस्तृत है और इसका सख्ती से पालन किया गया है।

12. कि पंचायती राज अधिनियम *1994* की धारा *84(10)* के अनुसार जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला परिषद के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है और राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई या सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करता है और अन्य कार्यों का निष्पादन करता है। कि धारा *84(10)* को न्यायालय के अवलोकन के लिए यहां पुन*:* प्रस्तुत किया गया है*:*

> ***84.* मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी की शक्ति और कार्य।**
>
> *(10).* जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला परिषद के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई या सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।

13. कि यहां यह उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक है कि जहाँ तक प्रबोधकों का संबंध है, वे सभी प्रारंभिक शिक्षा के सदस्य हैं और उनके लिए राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम *2008* लागू किए गए थे और धारा *2*-परिभाषा-*(*ए*)* के तहत उनके नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह जिला शिक्षा अधिकारी *(*प्रारंभिक शिक्षा*)* के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक प्रबोधक या वरिष्ठ प्रबोधक का संबंध है, दिनांक *06.03.2018* को लिए गए निर्णय के अनुसार प्रबोधक स्तर *1*, प्रबोधक स्तर *2* और प्रबोधक शारीरिक शिक्षा को क्रमशः शिक्षक स्तर *1*, शिक्षक स्तर *2* और शिक्षक शारीरिक शिक्षा के समान माना गया है, और उनके पदों को आपस में बदला जा सकने वाला माना गया है। कि इसके अतिरिक्त, उनके स्थानांतरण भी उन्हीं शिक्षकों की उपरोक्त श्रेणी के संबंध में किए गए तरीके से किए जाने हैं, दिनांक *06.03.2018* के परिपत्र की एक प्रति संलग्न है और अनुलग्नक आर/*8* के रूप में चिह्नित है।

14. कि यहां यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि विभाग द्वारा अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, दिनांक *09.12.2024* के आदेश द्वारा एक शिकायत समिति का गठन किया गया था। कि दिनांक *09.10.2024* का आदेश संलग्न है और अनुलग्नक आर/*9* के रूप में चिह्नित है।*"*

5. माननीय महाधिवक्ता द्वारा दायर अतिरिक्त शपथ पत्र का अध्ययन करने के बाद, यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने दिनांक 09.12.2024 के आदेश (अनुलग्नक-आर/9) द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) की अध्यक्षता में जिला और संभाग दोनों स्तरों पर पहले ही एक शिकायत समिति का गठन कर दिया है, जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं:–

जिला स्तरः

क्र.सं.	पद का नाम	समिति में भूमिका
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
4	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य सचिव

संभाग स्तरः

क्र.सं.	पद का नाम	समिति में भूमिका
1	संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संबंधित संभाग	अध्यक्ष
2	उप निदेशक (महात्मा गांधी ब्लॉक) संयुक्त निदेशक का कार्यालय – संबंधित संभाग	सदस्य
3	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संभाग मुख्यालय	सदस्य
4	सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक का कार्यालय – संबंधित संभाग	सदस्य सचिव

5.2. इसके अलावा, दिनांक 06.03.2018 के परिपत्र (अनुलग्नक आर/8) के अवलोकन से पता चलता है कि आगे कोई कदम उठाने से पहले, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसके सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त निदेशक, वरिष्ठ संयुक्त कानूनी सलाहकार, उपायुक्त, उप निदेशक, सहायक लेखाकार और अनुभाग अधिकारी गठित सदस्य थे। उन्होंने 22.02.2018 को अपनी बैठक आयोजित की और व्यापक मानदंड निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी को विभिन्न प्रबोधकों/शिक्षकों के व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड में लागू किया

जाना है, जिनकी अधिशेष घोषित होने और/या उसके परिणामस्वरूप किए गए बाद के स्थानांतरणों के बारे में कोई शिकायत, यदि कोई हो, है।

6. इसी तरह, दोनों निदेशालयों अर्थात प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशकों ने दिनांक 14.11.2024 के एक आदेश (अनुलग्नक-आर/7) के माध्यम से उन मापदंडों के संबंध में एक निर्णय लिया, जो विभिन्न प्रबोधकों और शिक्षकों पर बोर्ड में लागू किए जाएंगे ताकि अधिशेष घोषित होने और उसके बाद किए जाने वाले स्थानांतरणों के अभ्यास को पूरा किया जा सके।

7. भले ही यह हो, दिनांक 22.02.2018 के बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त (अनुलग्नक आर/8) के साथ-साथ दोनों निदेशकों द्वारा लिया गया दिनांक 14.11.2024 का संयुक्त निर्णय (अनुलग्नक आर/7) इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत नहीं हैं। यदि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंध में कोई शिकायत है, तो उन्हें उपयुक्त कदम उठाने की स्वतंत्रता है, यदि ऐसी सलाह दी जाती है।

8. शिकायत समितियों का गठन किए जाने के मद्देनजर, याचिका के इस समूह के निपटान के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों को सामने लाते हुए अपने व्यक्तिगत अभ्यावेदन को दायर करने की स्वतंत्रता है, जिस पर कानून और लागू नीति के साथ-साथ बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, यथाशीघ्र विचार किया जाएगा।

9. याचिकाकर्ताओं को संबंधित शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए 30 दिन की अवधि दी जाती है और तब तक, इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम संरक्षण उनके लाभ के लिए जारी रहेगा और आगे किसी भी आदेश के लिए, शिकायत समिति को उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।

10. यदि याचिकाकर्ता शिकायत समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध हैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे कानून के अनुसार अपने उपाय की मांग कर सकते हैं।

11. इन अवलोकनों के साथ, याचिकाओं का उपरोक्त समूह निपटाया जाता है।

12. सभी लंबित आवेदन भी निपटाए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

मद संख्या 31, 137, 252 से 261, 263 से 269,
271 से 274, 276 से 279, 281 से 306,
308, 309, 311, एस.एस./1 और एस.एस./2-
धनंजयएस/आरमाथुर/-
क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़